



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092023-248477
CG-DL-E-01092023-248477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3704]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2023/भाद्र 10, 1945

No. 3704]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2023/BHADRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2023

का.आ. 3865(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा गठित 'भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण' जैसा कि इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उस प्राधिकरण को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, एक 'प्राधिकरण के वर्ग' के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- सरकार से सहायता अनुदान या ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि;
 - भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बिल्डरों/डेवलेपर्स, एजेंटों या किन्हीं अन्य हितधारकों से प्राप्त शुल्क/जुर्माना;
 - उपरोक्त (क) और (ख) पर अर्जित ब्याज।
2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी कि प्रत्येक भू-संपदा नियामक प्राधिकरण-
- किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;

- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा(4ग) के खंड(छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगा।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2023-2024 से संगत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के संबंध में लागू मानी जाएगी।

अनुसूची

क्र.सं. (1)	स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण का नाम (2)	पैन (3)
1	छत्तीसगढ़ भू- संपदा नियामक प्राधिकरण	AAAJC1049H
2	उत्तराखंड भू- संपदा नियामक प्राधिकरण	AAALU0695H
3	मध्य प्रदेश भू- संपदा नियामक प्राधिकरण	AAAGM0458B
4	भू- संपदा नियामक प्राधिकरण, पंजाब	AAAJR1281N

[अधिसूचना सं. 76/2023 फा.सं. 300196/19/2022-आईटीए- I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

व्याख्यात्मक ज्ञापन:-

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2023

S.O. 3865(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Real Estate Regulatory Authorities' as specified in the schedule to this notification, constituted by Government in exercise of powers conferred under sub-section(1) of Section 20 of The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) as a 'class of Authority' in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:—

- Amount received as Grant-in-aid or loan/advance from Government;
- Fee/penalty received from builders/developers, agents or any other stakeholders as per the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016;
- Interest earned on (a) & (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that each of the Real Estate Regulatory Authority-

- shall not engage in any commercial activity;
- activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to be applied with respect to the financial year 2022-2023 relevant to assessment year 2023-2024.

Schedule

S.No. (1)	Name of the Real Estate Regulatory Authority (2)	PAN (3)
1	Chhatisgarh Real Estate Regulatory Authority	AAAJC1049H
2	Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority	AAALU0695H
3	Madhya Pradesh Real Estate Regulatory Authority	AAAGM0458B
4	Real Estate Regulatory Authority, Punjab	AAAJR1281N

[Notification No. 76 /2023, F.No.300196/19/2022-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director, (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.